

यह आलेख सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र-II  
( राजव्यवस्था, शासन और आईआर ) से  
संबंधित है।

द हिन्दू

04 अप्रैल, 2022

## अविश्वास प्रस्ताव खारिज, इमरान ने किया पाक संसद भंग

**नया मोड़:** पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ पार्टी के समर्थकों ने रविवार को इस्लामाबाद में नेशनल असेंबली के बाहर प्रधानमंत्री इमरान खान के समर्थन में नारे लगाए।

पाकिस्तान के संकटग्रस्त प्रधानमंत्री इमरान खान ने संसद को भंग करने के लिए राष्ट्रपति की मंजूरी पाकर रविवार को अपने प्रतिद्वंद्वियों पर यॉर्कर फेंकी व इस कदम को विपक्षी दलों ने "असंवैधानिक" करार दिया। बाद वालों ने इस कदम को चुनौती देने के लिए सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है।

इस मुद्दे पर रविवार को बाद में स्वतः सुनवाई करते हुए, सुप्रीम कोर्ट ने सभी राज्य संस्थानों को नेशनल असेंबली में अविश्वास प्रस्ताव को खारिज करने के मद्देनजर कोई भी "अतिरिक्त-संवैधानिक" कदम उठाने से रोक दिया।

पाकिस्तान के मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति उमर अता बंदियाल की अगुवाई वाली तीन न्यायाधीशों की पीठ ने इस मामले की सुनवाई की।

## कोर्ट में आज सुनवाई

मुख्य न्यायाधीश बंदियाल ने कहा कि सार्वजनिक व्यवस्था को बनाए रखा जाना चाहिए और कोई भी राज्य पदाधिकारी मौजूदा राजनीतिक स्थिति में कोई "अतिरिक्त-संवैधानिक" कदम नहीं उठाएगा। यह कहते हुए कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली के विघटन के संबंध शुरू किए गए कि सभी आदेश व कार्य न्यायालय के आदेश के अधीन होंगे। शीर्ष अदालत ने सुनवाई सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी।



इससे पहले, डिप्टी स्पीकर कासिम खान सूरी ने प्रधानमंत्री खान के खिलाफ विपक्ष द्वारा पेश किए गए अविश्वास प्रस्ताव को पाकिस्तान के संविधान और नियमों के खिलाफ बताते हुए खारिज कर दिया। अध्यक्ष असद कैंसर के खिलाफ विपक्षी दलों द्वारा अविश्वास प्रस्ताव दायर करने के बाद श्री सूरी ने महत्वपूर्ण सत्र की अध्यक्षता की।

स्तब्ध विपक्ष ने पूरी प्रक्रिया को असंवैधानिक करार दिया और इसके सांसदों ने संसद भवन के परिसर को छोड़ने से इंकार कर दिया जो सुरक्षा कर्मियों द्वारा संरक्षित था।

श्री खान, जिन्होंने 342 सदस्यीय नेशनल असेंबली में प्रभावी रूप से बहुमत खो दिया था, ने राष्ट्र को एक संक्षिप्त संबोधन दिया जिसमें उन्होंने कहा कि उन्होंने सदन को भंग करने की सिफारिश की है और नए चुनाव की माँग की है।

बाद में, राष्ट्रपति आरिफ अल्वी के कार्यालय ने कहा कि उन्होंने प्रधान मंत्री की सलाह के अनुसार नेशनल असेंबली को भंग कर दिया है।

श्री खान ने अविश्वास प्रस्ताव खारिज होने के लिए राष्ट्र को बधाई देते हुए कहा कि डिप्टी स्पीकर ने "शासन बदलने के प्रयास [और] विदेशी साजिश को खारिज कर दिया था"।

## संघीय मंत्रिमंडल भंग

श्री खान के एक करीबी और पूर्व सूचना मंत्री फवाद चौधरी ने ट्वीट किया कि संघीय मंत्रिमंडल को भी भंग कर दिया गया है। हालांकि, श्री खान अंतरिम प्रधानमंत्री के रूप में काम करना जारी रखेंगे।

पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज़ शरीफ ने कहा कि श्री खान और राष्ट्र के खिलाफ "साजिश" में शामिल अन्य सभी देशद्रोह के दोषी हैं और संविधान को अपमानित करने के लिए उन पर मुकदमा चलाया जाना चाहिए।

पाकिस्तान की सेना ने कहा कि उसका देश की मौजूदा राजनीतिक स्थिति से कोई लेना-देना नहीं है। सैन्य प्रवक्ता मेजर जनरल बाबर इफ्तखार ने अविश्वास प्रस्ताव की अस्वीकृति और राष्ट्रपति द्वारा नेशनल असेंबली के बाद के विघटन के मद्देनजर यह टिप्पणी की।

पाकिस्तान के सेना प्रमुख जनरल कमर जावेद बाजवा ने पिछले हफ्ते कम से कम दो बार प्रधानमंत्री से मुलाकात की।

### संभावित प्रश्न ( प्रारंभिक परीक्षा )

- प्र. निम्नलिखित कथनों पर विचार करें।
1. भारत के राष्ट्रपति के पास लोकसभा को भंग करने की शक्ति है।
  2. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 83(2) के अनुसार, इसकी बैठक के पहले दिन से पाँच वर्ष पूरे करना निचले सदन के विघटन के बराबर है।
- उपरोक्त में से कौन सा/से कथन सही है/हैं?
- (क) केवल 1  
(ख) केवल 2  
(ग) 1 और 2 दोनों  
(घ) कोई नहीं

### Expected Question (Prelims Exams)

- Q. Consider the following statements.
1. The President of India has the power to dissolve Lok Sabha.
  2. According to Article 83(2) of the Indian Constitution, the completion of five years from the first day of its meeting amounts to the dissolution of the Lower House.
- which of the above statements is /are correct?
- (a) 1 only  
(b) 2 only  
(c) Both 1 and 2  
(d) None

### संभावित प्रश्न ( मुख्य परीक्षा )

- प्र. अविश्वास प्रस्ताव की प्रक्रिया और भारत में लोकसभा के विघटन के संवैधानिक प्रावधानों की चर्चा करें।  
( 250 शब्द )
- Q. Discuss the process of non-confidence motion and constitutional provisions of dissolution of loksabha in india.  
(250 Words)

World  
Committed To Excellence

नोट :- अभ्यास के लिए दिया गया मुख्य परीक्षा का प्रश्न आगामी UPSC मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख कर बनाया गया है। अतः इस प्रश्न का उत्तर लिखने के लिए आप इस आलेख के साथ-साथ इस टॉपिक से संबंधित अन्य स्रोतों का भी सहयोग ले सकते हैं।